रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122021-232261
CG-DL-E-30122021-232261

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 739] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943
No. 739] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSA 9, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 913(अ).—केंद्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 59 के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में लोकपाल में कोर्ट मास्टर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोकपाल (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.— पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
कोर्ट मास्टर।	3*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर- 11 (67,700-2,08,700 रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणीयां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति / आमेलन : केंद्रीय सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सांविधिक निकायों या न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक निकायों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 (रु.47600-151100) और उससे ऊपर के स्तर पर कम से कम छह वर्ष की सम्मिकित नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु. 44900-142400) और उससे ऊपर के स्तर पर कम से कम आठ वर्ष की सम्मिकित नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास भारत के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है; और (ग) 120 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ आशुलिपि (अंग्रेजी) में दक्षता, और कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति के साथ कंप्यूटर प्रचालन का ज्ञान है।	समूह 'क' विभागीय समिति (प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सचिव, लोकपाल- अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, लोकपाल- सदस्य; 3. उप सचिव, लोकपाल- सदस्य।	लागू नहीं होता।

IndiaCode

टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 407/20(1)/2021-एवीडी-IV(एलपी)]

राहुल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2021

G.S.R. 913(E).—In pursuance of the powers conferred by sub-section (3) of section 10 read with section 59 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Court Master in the Lokpal, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Lokpal (Court Master) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix.- The number of post, its classification, and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Court Master.	3* (2021) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By deputation/ absorption.	Deputation/absorption: Officers of the Central Government or public sector undertakings or statutory bodies or judicial or quasi-judicial bodies,— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) at least six years combined regular service rendered in level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix and above in the parent cadre or department; or (iii) at least eight years combined regular service in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix and above in the parent cadre or department, and (b) possessing Degree of Law from a recognised University in India, and (c) proficiency in Shorthand (English) with a speed of 120 words per minute, and knowledge of computer operations with a minimum typing speed of 40 words per minute.	Group 'A' Departmental Committee (for considering deputation/ absorption) consisting of:- 1. Secretary, Lokpal– Chairperson; 2. Joint Secretary, Lokpal– Member; 3. Deputy Secretary, Lokpal– Member.	Not applicable.

IndiaCode

	Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation/ absorption shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 407/20(1)/2021-AVD-IV(LP)]

RAHUL SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.12.30 20:04:02 +05'30'